न्यायालय :विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)–प्रथम/गैंगेस्टर अधिनियम, ज्ञानपुर–भदोही।

उपस्थित : लोकेश कुमार मिश्रा (एच.जे.एस.)

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–247/2026

UPSN010007742026

सुधीर दूबे उम्र त० 27 साल पुत्र दयाशंकर दूबे निवासी सिकन्दरपुर संदीपनघाट जिला कौशाम्बी।

. .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

. .....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या– 98 सन् 2026
धारा– 3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट
थाना–गोपीगंज , जनपद –भदोही

दिनांक –18.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त सुधीर दूबे की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना–गोपीगंज, जनपद भदोही, अपराध संख्या–98 सन् 2026 अन्तर्गत धारा–3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि पुलिस थाना गोपीगंज प्रार्थी के विरुद्ध उपरोक्त मुकदमा कायम किया है , जिसमें प्रार्थी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान किया है और प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, महज एक साजिश के तहत झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी गुण्डा नहीं है, न तो किसी सुसंगठित गिरोह है, न तो किसी गिरोह का गैंग लीडर अथवा सदस्य ही है और न तो समाज का कोई भी व्यक्ति प्रार्थी से भयभीत ही है। मामले की असलियत यह है कि पुलिस थाना गोपीगंज प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में शत्रुओं की साजिश में होकर एक गलत व झूठा मुकदमा साजिशी तौर पर कायम किया, जिसमें प्रार्थी जमानत पर है और उसी क्रम में प्रार्थी के शत्रुओं की साजिश में होकर यह झूठा मुकदमा गलत आरोप लगाते हुए कायम कर दिया है।

प्रार्थी सीधा सादा गरीब व्यक्ति है। किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है तथा पीलियाग्रसित है। दवा इलाज चल रहा है और किसी गैंग का सदस्य नहीं है। प्रार्थी के जेल में रहने से बाल बच्चे भूखे मर जायेंगे। गैंगचार्ट में अंकित प्रार्थी के विरुद्ध मुकदमा झूठा एवं फर्जी व साजिशी है, जिसमें प्रार्थी जमानत पर है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है, जमानत होने पर जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा, अदालत के आदेशानुसार बराबर हाजिर अदालत आवेगा। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त सुधीर दूबे अपराधों में संलिप्त है। इसका स्वच्छन्द रूप से विचरण करना समाज एवं लोकहित में हितकर नहीं है।

गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त सुधीर दूबे के विरुद्ध इस जनपद के थाना–भदोही जनपद–भदोही में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो इस प्रकार से हैंः–

क्र०सं०	अपराध संख्या	धारा	थाना एवं जनपद
1.	277/2025	109(1),317(2), 317(4)बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट	गोपीगंज , जनपद भदोही।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन ने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है तथा गैंग बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक एवं अनुचित दुनियाबी लाभ के लिए अपराध कारित करता है और इसका समाज में भय एवं आतंक व्याप्त है। अभियुक्त के विरुद्ध जो अभियोग पंजीकृत हुएं हैं, उनमें आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है। गैंग के लीडर प्रेम साहू उर्फ मुन्ना राय के साथ सहअभियुक्तगण सुधीर दूबे , नूर नबी, कल्लू पासी उर्फ अंकित पासी व साहिल यादव उर्फ रजनीश यादव का उपरोक्त कार्य धारा – 3(1)उ०प्र० गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की परिधि में आता है और गैंग लीडर व सहअभियुक्तगण के साथ अभियुक्त सुधीर दूबे के विरुद्ध गैंग चार्ट तैयार कराकर जिला मजिस्ट्रेट भदोही से दिनांक – 27.02.2026 को अनुमोदित कराकर अभियोग पंजीकृत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–19(4) निम्न प्रकार से है–

19(4)– *संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बन्धपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि–*

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता; और

(ख) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय का समाधान न हो जाये कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि यदि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

रामू उर्फ अरुण कुमार पाण्डेय बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश राज्य, क्रिमिनल मिस्लेनियस बेल अप्लीकेशन नम्बर 27052/2008 के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा–19(4)(ख) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जमानत आवेदन पर सुनवाई करते समय न्यायालय को विश्वास करने का आधार होना चाहिए कि अभियुक्त उक्त अपराध का दोषी नहीं है, जैसा कि अभियुक्त द्वारा किया जाना कहा जा रहा है और जमानत पर छोड़े जाने की दशा में वह पुनः उक्त अपराध कारित नहीं करेगा।

प्रथम दृष्टया केश डायरी के अनुसार अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ गैंग के रूप में चोरी व हत्या का प्रयास जैसे गंभीर अपराध कारित किये जाने का अभियोग दर्शित है जिसमें अभियुक्त की भूमिका गैंग के सदस्य के रूप में उक्त आपराधिक क्रियाकलाप में सहायता देने के रूप में प्रथम दृष्ट्या पत्रावली के अवलोकन से दर्शायी गयी है। मूल मुकदमे में आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है, जिसमें केस डायरी के अनुसार गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के साथ अन्य अभियुक्तगण के पास से चोरी किया गया डीजल बरामद किया जाना दर्शित है। गैंगचार्ट में अभियुक्त को गैंग के सदस्य के रूप में दर्शित किया गया है। अतः जो व्यक्ति गैंग के सदस्य के रूप में समाज विरोधी क्रिया कलाप को उत्प्रेरित करता है या प्रश्रय देता है या सहायता करता है, वह भी दायी होता है। इस प्रकार अभियुक्त की भूमिका अपराध में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ दर्शित होती है, जिसके आधार पर गैंगेस्टर की कार्यवाही की गई। गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्त की अन्य सहअभियुक्तगण के साथ भूमिका बतायी गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि आधारभूत मुकदमों में उसकी जमानत हो चुकी है किन्तु महत्वपूर्ण है कि आधारभूत मामले में जमानत हो जाने पर गैंगेस्टर के मामले में जमानत देने का आधार उत्पन्न नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त

के विरुद्ध गैंगचार्ट में एक अभियोग पंजीबद्ध होना दर्शित है एवं एक आपराधिक मुकदमें के आधार पर भी गैंगेस्टर की कार्यवाही की जा सकती है। जमानत आवेदन पर सुनवाई करते समय साक्ष्य के गुण–दोषों पर विचार नहीं किया जाता है।

आपराधिक इतिहास में अभियुक्त के विरुद्ध गैंगचार्ट में दर्शित उपरोक्त मुकदमे के अलावा एक अन्य मुकदमा दर्शित किया गया है, जो निम्नवत् है–

क्र०सं०	अपराध संख्या	धारा	थाना एवं जनपद
1.	85/2020	323, 504, 506 भा०दं०वि०	कोखराज , जनपद कौशाम्बी

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्त के विरुद्ध दर्शित आपराधिक कृत्य तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तदानुसार अभियुक्त की और से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सुधीर दूबे की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 98 सन् 2026 धारा– 3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना–गोपीगंज , जनपद –भदोही के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(लोकेश कुमार मिश्र)
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो–प्रथम/
गैंगेस्टर अधिनियम, भदोही ज्ञानपुर।

दिनांक–18.03.2026

Digitally signed by Lokesh Kumar Mishra
Date: 2026.04.01 11:01:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court